रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2016/ज्येष्ठ 19, 1938
No. 405] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2016/ JYAISTHA 19, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून , 2016

सा.का.नि. 592(अ).— केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ) ,खंड (ड) और खंड (च) तथा धारा 36 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2015 के नियम 29 में,--

(i) उपनियम (2) में " सहायक रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान पर "उप रजिस्ट्रार" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपनियम (3) में " सहायक रजिस्ट्रार "शब्दों के स्थान पर " उप रजिस्ट्रार " शब्द रखे जाएंगे ।

[फा.सं.ए-11014/4/2008-एटी]
देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं .सा.का.नि. 428 (अ) द्वारा तारीख 26 मई, 2015 को प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2016

G.S.R.592 (E).— In exercise of powers conferred by clauses (d), (e), and (f) of sub-section (2) of section 35 and clause (c) of section 36 of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2015, namely:

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 2015, in rule 29,

(i) in sub-rule (2), for the words "Assistant Registrar", the words "Deputy Registrar" , shall be substituted;

(ii) in sub-rule (3), for the words "Assistant Registrar", the words "Deputy Registrar" , shall be substituted.

[F.No.A-11014/4/2008-AT]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No.A-11014/4/2008-AT, dated 26th May, 2015.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.